

(B)

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 1969/कार्तिक 30, 1891

No. 182] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 1969/KARTIKA 30, 1891

सभाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 21st November 1969

G.S.R. 2668.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 165/69-Central Excises, dated the 16th June, 1969, namely:—

In the said Notification, for the letters and figures "Rs. 170", the letters and figures "Rs. 145" shall be substituted.

[No. 228/69.]

K. NARASIMHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1969

सा० का० नि० 2668:— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 165/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जून, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “170 रु०” अंक और शब्द के स्थान पर “145 रु०” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 228/169]

के० नरसिंहन, संयुक्त सचिव।